कार्यालय प्राचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा,
जिला - सक्ती (छ.ग.)
(शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छ.ग. से संबंद्ध)

Website – www.abvgcnagarda.in **AISHE CODE – C- 61090** **Email : principalnagarda18@gmail.com**

क्र. 157/स्था./2026 **नगरदा, दिनांक – 08.09.2026**

//अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक **ESTB.2035/637/2026 RAJPATRIT STHAPANA** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक–18/08/2026 के अनुपालन में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं (यथा संशोधित 2026) में दिए गए प्रावधानों के अनुरुप **अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला–सक्ती (छ.ग.)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक अनुलग्नकों के साथ दिनांक – 18/09/2026 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाईट **https:// www.abvgcnagarda.in** से अवलोकन किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता,को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. एक ही श्रेणी में दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	पद संख्या
1	वनस्पति शास्त्र	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

प्राचार्य
PRINCIPAL
ATAL BIHARI VAJPAYEE
GOVT. COLLEGE NAGARDA
DIST SAKTI (C.G.)

पृ.क्र. 158/अतिथि व्या./2026 नगरदा, दिनांक 08.09.2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य(अग्रणी) शासकीय क्रांतिकुमार भारतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सक्ती (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. स्थापना/लेखा शाखा
5. सूचना पटल एवं महाविद्यालय की वेबसाईट **https:// www.abvgcnagarda.in** हेतु।
6. स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।

प्राचार्य
PRINCIPAL
ATAL BIHARI VAJPAYEE
GOVT. COLLEGE NAGARDA
DIST SAKTI (C.G.)

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 18/09/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर मेरिट सूची अतिथि व्याख्याता नीति 2024(यथा संशोधित 2026) के नियमानुसार तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक – 22/09/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट **https:// www.abvgcnagarda.in** पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि – 25/09/2026 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक – 27/09/2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट **https:// www.abvgcnagarda.in** अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि सहायक
1	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	2000/–प्रतिदिन (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/–प्रतिदिन (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला–सक्ती (छ.ग.)** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य

PRINCIPAL
ATAL BIHARI VAJPAYEE
GOVT. COLLEGE NAGARDA
DIST SAKTI (C.G.)